भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2019 के
तारांकित प्रश्न सं. 134 का उत्तर

तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे रेल लाइन

***134. श्री ए. नारायण स्वामीः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण की क्या स्थिति है और सर्वेक्षण करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) चित्रदुर्ग-दावणगेरे रेल लाइन के लिए भूमि अर्जन की क्या स्थिति है;

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने भूमि अर्जन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे रेल लाइन के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री ए. नारायणा स्वामी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.134 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावणगेरे नई लाइन (191 कि.मी.) परियोजना को बजट 2011-12 में शामिल किया गया था। यह परियोजना कर्नाटक राज्य सरकार के साथ लागत में हिस्सेदारी पर आधारित है, जिसमें कर्नाटक राज्य सरकार परियोजना के लिए नि:शुल्क भूमि मुहैया कराएगी और 50% निर्माण लागत वहन करेगी।

इस परियोजना की नवीनतम लागत 1801.01 करोड़ रु. है। इस परियोजना पर मार्च 2019 तक 39.99 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए इस परियोजना पर 115 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

इस नई लाइन परियोजना के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान कर्नाटक सरकार को भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है जिसके लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की आवश्यकता होती है, इसलिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई 2016 में शुरू की जा सकी। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

इस परियोजना के लिए कुल 2246.06 एकड़ राजस्व भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा उराकेरे-तिम्मारैयानहल्ली खंड (12 कि.मी.) के लिए 135.66 एकड़ भूमि रेलवे को सौंप दी गई है। राज्य सरकार को शेष 2110.40 एकड़ राजस्व भूमि के भूमि अधिग्रहण में तेजी लानी होगी और साथ ही 34.66 एकड़ वन भूमि के वन भूमि अंतरण में भी तेजी लानी होगी।

कर्नाटक राज्य सरकार तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा रेलवे को भूमि सौंपे जाने और वन भूमि के लिए वानिकी क्लीयरेंस मिलने के बाद ही कार्य पूरे जोरों पर शुरू किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव सहित राज्य प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कर्नाटक सरकार ने भी विभिन्न बैठकों में शीघ्रता से भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी मंशा व्यक्त की है।

*****